| आदेश की कम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

## न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

## बंदोवस्ती अपील वाद सं0– 27/2004–05

**गोखुल प्रसाद यादव एवं अन्य – अपीलार्थी**
**बनाम**
**बंधिया देवी – विपक्षी**

### –: आदेश :–

25·10·19 प्रस्तुत अपील अपीलार्थी गोखुल प्रसाद यादव एवं अन्य दो पिता स्व0 भुखल प्रसाद यादव, ग्राम–लखेया, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा के द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–125/2001–02 में दिनांक 27.03.2002 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। इस वाद की सम्बंधित भूमि के विवरणी निम्नवत है :–

ग्राम–लखेया, थाना नं0–195, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा

| खात नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा (ए0 डी0) |
|---|---|---|
| 124 | 701 | 0.36 |
| | 702 | 0.14 |

**कुल रकबा – 0.50 एकड़**

विपक्षी नोटिस प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल किया है।

अपीलार्थी का संक्षेप में कथन यह है कि बंदोवस्ती वाद सं0 125/2001–02 में विपक्षी के नाम से बंदोवस्त की गई भूमि अपीलार्थी की खरीदगी भूमि है तथा अपीलार्थी के नाम से उक्त भूमि का सरकारी मालगुजारी रसीद कटती है, तथा उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। अपीलार्थी का आगे का कथन है, कि ग्राम लखेया के खाता सं0 124 प्लॉट सं0 701 एवं 702 विगत सर्वेक्षण काल में गैर–मजरुआ मालिक भूमि के रुप में दर्ज हुई है, तथा उक्त भूमि के जमींदार महेश्वर लाल वगैरह थे। उक्त भूमि की बंदोवस्ती विपक्षी बंधिया देवी के नाम से गलत ढंग से की गई है। बंधिया देवी की शादी ग्राम–सिगसिगा, थाना–रंका, जिला–गढ़वा में हुई थी और वह इसी ग्राम की रहने वाली है और इसके पास बहुत

सारी जमीन है, अर्थात् वह भूमिहीन नहीं है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रत्यर्थी ने पूर्व में भी उपरोक्त भूमि की बंदोवस्ती हेतु आवेदन दिया था जिसके आधार पर बंदोवस्ती वाद सं0 75/96–97 का अभिलेख संधारित किया गया था जो कालान्तर में रद्द कर दिया गया। कुछ दिन के पश्चात् पुनः बंदोवस्ती वाद सं0 125/2001–02 के द्वारा अंचल कार्यालय मेराल को मेल में लाकर रिर्पोट प्रस्तुत कराया गया। जिसके पश्चात् उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2002 को सम्बंधित भूमि बंदोवस्त कर दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। अन्त में अपीलार्थी का अनुरोध है कि बंदोवस्ती वाद सं0–125/2001–02 के अन्तर्गत की गई बंदोवस्ती को रद्द की जाये।

विपक्षी का संक्षेप में कहना है कि अपीलार्थी की ओर से दायर अपील वाद विधि एवं तथ्य के प्रतिकुल है, जो खारीज करने योग्य है। अपीलार्थी की ओर से दायर आवेदन पत्र में वर्णित वंशावली से स्पष्ट है कि विपक्षी बंधिया देवी खाता सं0 11 एवं 96 की सर्वे रैयत/देही रैयत पूरन महतो के पुत्र मसूदन यादव की पुत्री है। बंधिया देवी अपने पिता के साथ रहते हुए अपने पैतृक भूमि की जोत कोड़ करती थी, अंचल कार्यालय मेराल द्वारा विधिवत जाँचोंपरान्त तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए उक्त भूमि की बंदोवस्ती की स्वीकृति दी गई है, जो नियमानुसार सभी दृष्टिकोण से उचित है। विपक्षी का यह भी कहना है कि उक्त भूमि पर उसका घर एवं कुआँ अवस्थित है।उक्त भूमि पर अवस्थित घर में विपक्षी सपरिवार रहती है तथा कुआँ से पटवन कर खेती–बारी करती है। अन्त में विपक्षी की ओर से अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त मामले पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क विस्तार पूर्वक सुना तथा निम्न न्यायालय के बंदोवस्ती वाद सं0 125/2001–02 के अभिलेख का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती गलत ढ़ंग से विपक्षी को बंदोवस्त की गई है। उक्त भूमि अपीलार्थी की खरीदी भूमि है और जिसके दखल कब्जे में अपीलार्थी खरीदगी के समय से ही चले आ रहे हैं। विपक्षी ने गलत ढ़ंग से अंचल कार्यालय को मेल में लाकर बन्दोबस्त कराया है, तथा उस भूमि को बन्दोबस्त कराने में सफलता पाई है। इन बातों को ध्यान में रखकर विपक्षी के नाम से की गई बन्दोबस्ती वाद सं0 125/2001–02 के

अन्तर्गत की बन्दोबस्ती भूमि को रद्द किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के तर्क का खण्डन करते हुए कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा बन्दोबस्ती वाद सं0 125/2001–02 में दिनांक 27.03.2002 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है जो कि उक्त बन्दोबस्ती वाद सं0 125/2001–02 में अंचल पदाधिकारी, मेराल ने उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा को अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। ज्ञातव्यहो कि अंचल पदाधिकारी के अनुशंसा के पश्चात् उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा कार्रवाई की जाती है, तथा अंतिम आदेश हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी के यहाँ भेजा जाता है जहाँ बन्दोबस्ती की अंतिम कार्रवाई सम्पन्न होती है। यहाँ उल्लेखनीय है।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा ने विधिवत अंचल अधिकारी, मेराल के प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए अनुशंसा के साथ दिनांक 13.07.2002 को अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा को स्वीकृति हेतु प्रषित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा ने दिनांक 15.07.2002 को विपक्षी बंधिया देवी के नाम से बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई। जब कि अपीलार्थी के द्वारा जो अपील दायर किया गया है वह 27.03.2002 के पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, इस कारण प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र खारिज करने योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उप समाहर्त्ता सुधार, गढ़वा तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के अंतिम आदेश को चुनौती ही नहीं दिया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए आगे कहा कि अंचल कार्यालय मेराल द्वारा विपक्षी को सभी नियमों का पालन करते हुए गैरमजरुआ मालिक भूमि की बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा की गई है, जो उचित मानदण्डों के आधार पर ही सम्बंधित भूमि की बन्दोबस्ती की आगे की कार्रवाई की है अथवा भूमि की बंदोवस्ती हुई है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा बंदोवस्ती के अन्य किसी प्रस्ताव में खारीज होने के तर्क का भी खण्डन किया गया है, तथा निम्न न्यायालय के द्वारा पारित बंदोवस्ती आदेश को उचित तथा विधि सम्मत बताया गया ।

मामले पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के बन्दोबस्ती वाद संख्या 125/2001–02 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता सं0 124 प्लॉट सं0 701 के कुल खतियानी रकबा 47 (सैतालिस) एकड़ एवं प्लॉट सं0 702 के कुल खतियानी रकबा 47 (सैतालिस) एकड़ खतियान में गैर–मजरुआ मालिक भूमि दर्ज है। जिसमें से प्रत्यर्थी बंधिया देवी को खाता सं0

124 प्लॉट सं0 701 में रकबा 0.36 एकड़ एवं प्लॉट सं0 702 में 0.14 एकड़ कुल रकबा 0.50 एकड़ भूमि कि बन्दोबस्ती दखल कब्जा में पाते हुए अंचल सिरिस्ते से लेकर अनुमण्डल स्तर तक विधिवत् सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए बन्दोबस्ती की गई है।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2002 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है जबकि उक्त बन्दोबस्ती अभिलेख में अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक 15.07.2002 को स्वीकृति दी गई है।

विपक्षी के नाम से विहित प्रक्रिया अपनाते हुए बन्दोबस्ती की कार्रवाई की गई है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी के नाम से की गई बन्दोबस्ती को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/10
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

25/10/19
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा